



पत्रांक : ओ. यू./परीक्षा/भो (ओ)/2025

दिनांक : 10/11/2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/समन्वयक

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध

विषय :- सत्रान्त परीक्षा दिसम्बर - 2025 के परीक्षा केन्द्र हेतु आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षाएँ दिसम्बर 2025 से प्रस्तावित है। यदि आप शासन की मंशा के अनुरूप शुचिता पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण के लिए निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध हों एवं विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र बनाने के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हो तथा उ० प्र० राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसरण हेतु दृढ़ संकल्पित हों, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में दिये जाने वाले निर्देशों के अनुपालन की सद्‌इच्छा रखते हो तो, आप अपना आवेदन पत्र संलग्न शपथ पत्र व सूचना प्रपत्र के साथ दिनांक 18/11/2025 तक अधोहस्ताक्षरी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करने का कष्ट करें। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

संलग्नक :-

1. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा पारित दिशा निर्देश।
2. शपथ-पत्र का प्रारूप।
3. आवेदन का प्रारूप।

भवदीय

परीक्षा नियन्त्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

परीक्षा केन्द्र निर्धारण के नियम

- 1- प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
- 2- भौगोलिक रूप से विस्तारित जनपदों में एक से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाये जा सकते हैं।
- 3- परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी। जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
- 4- परीक्षा केन्द्र, सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र को ही बनाया जायेगा अथवा परीक्षा केन्द्र उन महाविद्यालयों को भी बनाया जा सकेगा, जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
- 5- जिन अध्ययन केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा वे यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय, अनुदानित महाविद्यालय तथा उक्त दोनों की अनुपस्थित अथवा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसे स्ववित्त पोषित अध्ययन केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा, जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये निर्देशों का पालन किया हो तथा पूर्व में परीक्षा केन्द्र रहते हुए परीक्षा कार्य एवं निर्देशों का सुव्यवस्थित सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय निर्देशों में भी अनुशासित रहे हो।
- 6- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 120 हो तथा वहाँ 03 वर्षों से अध्ययन केन्द्र सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा हो।
- 7- नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहाँ परीक्षार्थियों के लिये पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी का ध्यान रखा जाय।
- 8- जिन अध्ययन केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में Voice Recorder युक्त CCTV कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु DVR तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उनकी Web Casting द्वारा Monitoring किये जाने के उद्देश्य से Voice Recorder युक्त CCTV कैमरे के DVR के साथ Router Device लगा होना अनिवार्य होगा।
- 9- परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्या एक कक्ष में न्यूनतम 02 तथा जहाँ कक्ष के हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इसमें अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आये। प्रत्येक CCTV कैमरे में Voice Recorder एवं DVR के साथ Router Device लगा होना अनिवार्य है।
- 10- यदि विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण संख्या छात्राओं की ही है और यह न्यूनतम 120 है तो उन्हें स्व-परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा।
- 11- परीक्षा केन्द्र निर्धारित करते समय समिति उडाका दल, पर्यवेक्षक अथवा सामूहिक रूप से छात्रों द्वारा की शिकायतों/रिपोर्टों जिनका सत्यापन सही पाया गया हो, का भी संज्ञान लेकर ही परीक्षा केन्द्र निर्धारण की संस्तुति करेगी।
- 12- ऐसे परीक्षा केन्द्र जिन्हें परीक्षा समिति ने किन्हीं कारणों से वंचित (डिबार) किया हो उन्हें न्यूनतम 03 वर्षों तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जायेगा।
- 13- जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जायेगा।
- 14- परीक्षा केन्द्र पर Voice Recorder युक्त CCTV कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने वाले अध्ययन केन्द्रों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा तथा परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों/पर्यवेक्षक आदि द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।
- 15- परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों के इतर बाहरी व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।
- 16- परीक्षा केन्द्र बनने वाले अध्ययन केन्द्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।
- 17- परीक्षा केन्द्र बनने वाले अध्ययन केन्द्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं छात्र/छात्राओं के लिये अलग-अलग शौचालय होना अति-आवश्यक होगा।



- 18- एक परीक्षा केन्द्र पर यथासम्भव एक से अधिक अध्ययन केन्द्रों के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाये।
- 19- एक ही प्रबन्धक परिवार द्वारा संचालित एक से अधिक अध्ययन केन्द्र/महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक परिवार के अधीन संचालित अन्य अध्ययन केन्द्र (महाविद्यालय) पर किसी भी दशा में आवंटित नहीं किया जायेगा, इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्र (महाविद्यालय) के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने को निषेध किया जायेगा।
- 20- जिन अध्ययन केन्द्र (महाविद्यालय) को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किये गये हैं तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किये जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ के प्रधानाचार्य डिबार हैं, वहाँ समन्वयक को केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
- 21- परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य सम्बन्धित नहीं हैं, उन्हें प्रवेश न दिया जाये।
- 22- प्रश्न-पत्र अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्रों पर CCTV कैमरों की निगरानी में रखे जायेंगे, खोले जायेंगे तथा वितरित किये जायेंगे।
- 23- प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन के समय वाँछित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरण के साथ प्रेषित करना होगा। अपूर्ण एवं अन्तिम तिथि के बाद प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 24- समस्त परीक्षा केन्द्रों पर Router Device लगाये जाने के पश्चात् केन्द्र व्यवस्थापकों/प्राचार्यों द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की Web Casting हेतु व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापक/प्राचार्य केन्द्र में लगे DVR का I.P. Address एवं Password परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व परीक्षा नियंत्रक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 25- विशेष परिस्थितियों में मा0 कुलपति जी की अनुमति से परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा।



शपथ-पत्र — 'क'
(नोटरी द्वारा सत्यापित)

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रयागराज

मैं (शपथकर्ता का नाम)..... पदनाम.....
संस्थान का नाम..... केन्द्र कोड.....
विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षा दिसम्बर — 2025 हेतु अपने संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाने का इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. मैं तथा संस्था का प्रबन्धतंत्र परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय के मानकों से भली भाँति अवगत है तथा हमारा संस्थान समस्त मानकों को पूर्ण करता है।
2. मैं तथा संस्था का प्रबन्धतंत्र शुचिता पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों से भिन्न हैं तथा पारदर्शिता से उनका पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं।
3. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजन के सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मैं तथा संस्था का प्रबन्धतंत्र दृढ़ संकल्पित है।
4. विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षा के साथ यदि अन्य राज्य विश्वविद्यालयों की सत्रान्त परीक्षा आयोजित होती हैं, तो उनके साथ ही मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन भी प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही पूर्ण कराया जायेगा।
5. परीक्षा केन्द्र के रूप में मेरा संस्थान वर्तमान में किसी संस्थान द्वारा काली सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
6. उक्त शपथ-पत्र में 1 से 5 मेरी निजी ज्ञान व विश्वास में पूर्णतः सही है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तब विश्वविद्यालय द्वारा की गयी नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

शपथकर्ता

शपथ-पत्र – 'ख'
(नोटरी द्वारा सत्यापित)

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रयागराज

मैं (शपथकर्ता का नाम)..... पदनाम.....
संस्थान का नाम..... केन्द्र कोड.....
विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षा दिसम्बर – 2025 हेतु अपने संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाने का इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. मेरे संस्थान के जिन कक्षों का प्रयोग मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु किया जायेगा, वे सभी कक्ष वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरो से आच्छादित होंगे तथा विश्वविद्यालय मुख्यालय पर परीक्षा संचालन को आनलाईन दिखाने की पूर्ण व्यवस्था क्रियान्वित की जायेगी एवं परीक्षा समाप्ति पर सम्पूर्ण परीक्षा दिवसों की सीसीटीवी रिकार्डिंग आगामी 7 कार्य दिवसों में विश्वविद्यालय को पूर्ण जिम्मेदारी से उपलब्ध करवा दी जायेगी।
2. मेरे संस्थान को कभी भी किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थाओं द्वारा काली सूची (डिबार) में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

शपथकर्ता

परीक्षा केन्द्र निर्धारण विषयक

आवेदन प्रारूप

- 1 केन्द्र का नाम
- 2 केन्द्र कोड
- 3 समन्वयक/केन्द्राध्यक्ष का नाम व दूरभाष संख्या/मोबाइल नम्बर.....
- 4 प्रचार्य का नाम व दूरभाष संख्या/मोबाइल नम्बर.....
- 5 ई-मेल
- 6 ई-मेल (गोपन कार्य प्रयोग हेतु
यदि उपरोक्त अलग हो तो)
- 7 विगत तीन वर्षों में पंजीकृत
शिक्षार्थियों की संख्या (सत्रवार)
- 8 अवस्थापन व्यवस्था
- * परीक्षा हेतु उपलब्ध कक्षाओं की
संख्या
- * कक्षाओं का क्षेत्रफल (पृथक-पृथक) हों/नहीं
- * सीसीटीवी व्यवस्था (वायस रिकार्डर युक्त) हों/नहीं
- * विश्वविद्यालय मुख्यालय पर परीक्षा संचालन को आनलाइन दिखाने की व्यवस्था हों/नहीं
- * क्या आपका डिग्री कालेज/महाविद्यालय आपके मूल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का परीक्षा
केन्द्र है यदि हाँ तो साक्ष्य संलग्न करें। हों/नहीं
- * क्या आपके अध्ययन केन्द्र में केवल छात्रायेँ हैं -
- * यदि हाँ तो वर्तमान संख्या - हों/नहीं
- 9 क्या पूर्व में आपके अध्ययन केन्द्र को इस विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। हों/नहीं
- यदि हाँ तो i कब हों/नहीं
- ii क्या उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण समय से किया गया था - हों/नहीं
- iii क्या उपस्थिति प्रपत्र (P-7) का आनलाइन प्रेषण ससमय किया गया था - हों/नहीं
- iv क्या दिसम्बर - 2024 एवं जून - 2025 परीक्षा के सापेक्ष प्राप्त परीक्षा
अग्रिम धनराशि का समायोजन समय से प्रेषित किया गया था - हों/नहीं
- v परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय के अन्य निर्देशों का अनुपालन किया गया था - हों/नहीं
- 10 क्या आपका केन्द्र किसी विश्वविद्यालय से परीक्षा हेतु कभी डिबार किया गया है, यदि नहीं- हों/नहीं
- तो शपथ पत्र संलग्न करें।
- 11 आपके केन्द्र के समीपस्थ
अध्ययन केन्द्रों का विवरण

12	बैंक का विवरण	Bank	Branch	Account No	IFSC Code
	खाता धारक का नाम				

उक्त सूचना प्रपत्र में 1 से 12 मेरी निजी ज्ञान व विश्वास में पूर्णतः सही है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा की गयी नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

स्थान.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

प्रचार्य/समन्वयक/केन्द्राध्यक्ष